

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
तिलहन संघ भवन, 1, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

क्रमांक 1447 /MONIT/MPREGS / 07

भोपाल, दिनांक 18 जून, 2007

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत- झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
गुना, राजगढ़, दमोह, पन्ना, कटनी, रीवा, अनूपपुर, अशोकनगर,
बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, दतिया एवं हरदा मध्यप्रदेश।

विषय- बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मासिक प्रगति की रिपोर्ट।

**संदर्भ:- समन्वयक शाखा से प्राप्त मध्यप्रदेश शासन बीस सूत्रीय क्रियान्वयन
विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 2-16/2006/43/
बीस सूत्रीय दिनांक 24.5.2007 की छायाप्रति।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि योजनान्तर्गत आपके जिले में योजनान्तर्गत की गई प्रगति की प्रत्येक माह की जानकारी बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मंत्रालय भोपाल के माध्यम से भारत सरकार की ओर आगामी माह के 8 तारीख को भेजी जाती है। अतः आवश्यक है कि मंत्रालय तक योजना की प्रगति की गत माह की जानकारी वर्तमान माह के 5 तारीख तक पहुंचे।

अतः संलग्न प्रपत्र में आपके जिले की जानकारी आगामी माह की 5 तारीख तक ई-मेल द्वारा (rddmp@yahoo.com) भेजना सुनिश्चित करें। योजना की मासिक प्रगति की जानकारी पृथक से भेजें।

संलग्न:- प्रपत्र

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

विषय— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मध्यप्रदेश : बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मासिक प्रगति की रिपोर्ट।

जिले का नाम :- _____

माह — _____

Item Code	Item Name/ Sub Item Name	Unit	Monthly Ach.	Cum. Ach.
1	2	3	4	5
A01	No of Job Cards Issued	Number		
A02	Employment Generated	Number in Lakh Mandays		
A03	Wages given in Cash & Kind	Rupees in Lakh		

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला— पंचायत
जिला _____

टीप —

1. कॉलम 4 में योजनान्तर्गत रिपोर्टिंग माह में हुई प्रगति की जानकारी (रिपोर्टिंग माह के ऑकड़े – गत माह के ऑकड़े) दी जावेगी।
2. कॉलम 5 में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से रिपोर्टिंग माह तक हुई प्रगति की जानकारी दी जावेगी।
3. आयटम कोड ए ओ-3 में अकुशल श्रमिकों को दी गई मजदूरी की राशि + अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को दी गई मजदूरी की राशि का योग लिखा जावेगा। कॉलम 4 एवं 5 में अंकित की जानेवाली राशि का निर्धारण उपरोक्त टीप क्रमांक 1 एवं 2 के आधार पर किया जायेगा।